न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)
बइजलास– जगदीश प्रसाद गौड़, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 39 / 2022 जीसीएमएस नम्बर 2022 / 43

अपीलान्ट
1. नवीन पुत्र शान्तिलाल जैन
निवासी नावां तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।

रेस्पोडेन्ट्स
1. महेन्द्र पुत्र जगदीश 2. अशोक पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी लूणवां।
3. रामेश्वर पुत्र पदमाराम जाति कुमावत 4. वंशी पुत्री उगमा जाति रेबारी
5. भीकमचन्द पुत्र रामेश्वर जाति नाथ 6. जगमाल पुत्र रामेश्वर जाति नाथ
7. श्रवण पुत्र घीसा जाति नाथ 8. आनन्द पुत्र छिगननाथ जाति नाथ
9. छिगन पुत्र बिन्झाराम जाति नाथ 10. किशन पुत्र छिगननाथ जाति नाथ
11. खाजुराम पुत्र गंगाराम जाति कुमावत 12. हनुमान पुत्र बिन्झाराम जाति जाट
13. हेमाराम पुत्र नन्दाराम जाति कुमावत रेस्पोडेन्ट 3 ता 13 निवासीयान नावां तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।
14. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधी तहसीलदार नावां (भूमिधारी)

उपस्थित अधिवक्ताः–
1. श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कन्हैयालाल शर्मा एवं श्री भीकमचन्द कुमावत, रेस्पोडेन्ट की ओर से।
3. राज पैरोकार नायब तहसीलदार नावां राज0 सरकार की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः 18.07.2024

1 यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के राजस्व प्रकरण संख्या 01 / 2022 बउनवान महेन्द्र मीणा बनाम नवीन वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2022 के विरूद्ध पेश की है।

2 अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट 01 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट 3 ता 13 को अतिक्रमी मानते हुए कब्जा हटाने का आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 01.04.2022 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 29.06.2022 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:18:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

3 अपीलान्ट की अपील दिनांक 19.10.2022 को मियाद का बिन्दु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/864 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

4 वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार नावां सिटी द्वारा निर्णय दिनांक 29.06.2022 अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट को आक्षेपित निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अपील में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होने से अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

5 बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्मित पक्के मकान, बाड़े नोहरे हटाने का आदेश पारित कर दिये जोकि विधि विरूद्ध हैं। कस्बा नावां के खसरा नम्बर 2417/1081 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 2629/1092 रकबा 1.6350 हैक्टर, खसरा नम्बर 2630/1092 रकबा 2.3450 हैक्टर, कि भूमि पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 13 को अतिक्रमी मानते हुये कब्जा हटाने का आदेश दिया गया। उक्त प्रकरण के अनुवान में राजस्व कस्बा नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि के गत खसरा नम्बर 600, 594/1 594/2, 595 भूमि का न्यायालय सहायक कलैक्टर व कार्यपालक मजिस्ट्रेट नावां के द्वारा प्रकरण संख्या 279/85 दिनांक 18.09.1985 को निर्णय पारित किया गया जिसमें हुसेन पुत्र सावत खां कायमखानी निवासी नावां को खातेदार घोषित किया गया व तत्कालिन खातेदार रामेश्वर पुत्र कल्याण, बाबुलाल पुत्र कल्याण, केशर पत्नि सीताराम समस्त जाति मीणा निवासीयान नावां तहसील नांवा का खातेदारी में से नाम हटाया गया। उक्त भूमि पर हुसेन खां का कब्जा निरन्तर चला आ रहा था हुसेनखा ने उक्त जमीन जरिये इकरारनामा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 13 को बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तब से काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि बाबत गत खसरा नम्बर 600, 594/1. 594/2, 595 के नवीन खसरा नम्बर 1078, 1079, 1081, 1082, 1092, 1157, 1197, 1170, 1171, 1179 कुल रकबा 11.41 हैक्टर बाबत निर्णय न्यायालय सहायक कलैक्ट्रर नावां द्वारा दिनांक 18.09.1985 को मुकदमा संख्या 279/85 द्वारा पारित कर हुसेनखां पुत्र सावतखां को काबिज खातेदार घोषित किया गया, जिसकी पालना होकर नामान्तरण दर्ज हो गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी का पर्याप्त अवसर दिये बिना तथा अल्प समय में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अतिक्रमी घोषित किया जाना न्याय संगत नहीं है।

6 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट श्री कन्हैयालाल [illegible] प्रकरण में वास्तविकता तो यह है कि अपीलान्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर [illegible] मजिस्ट्रेट नावां के द्वारा प्रकरण संख्या 279/85 दिनांक 18/09/[illegible] को निर्णय में [illegible] किया गया था जिस में गत खसरा नंबर 600, 594/1, 594/2, 595 [illegible] जिन खसरान से रेस्पोटेन्ट संख्या 01 व 02 का किसी प्रकार का कोई सरोकार [illegible] है रेस्पोटेन्ट संख्या 01 व 02 के गत खसरा नंबर 601 जिसका नवीन खंसरा नंबर 1081 गत खसरा नंबर 594 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1092 कायम हुये है। प्रार्थी ने वाद संख्या 279/85 व इसमे उल्लेखित खसरा नम्बरों बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:18:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

उल्लेख किया है जिनसे रेस्पोटेन्ट संख्या 01 व 02 का कोई सरोकार नहीं है और न ही उक्त वाद मे उल्लेखित गत खसरा नंबर 600, 594/1, 594/2, 595 बाबत न ही तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने कोई कार्यवाही की है और न ही न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा उक्त गत खसरा नंबर 600, 594/1, 594/2, 595 की भूमि से संबंधित किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया है। प्रार्थी ने मनघढन्त तथ्यो के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की है जो काबिल खारिज हैं। गत खसरा नंबर 600, 594/1, 594/2, 595 के नवीन खसरा नंबर 1157 कायम हुये व गत खसरा नंबर 601, 594 जिनके वर्तमान खसरा नंबर 1081, 1092 कायम हुये है। न्यायालय सहायक कलक्टर नावां द्वारा दिनांक 18.09.1985 को मुकदमा संख्या 279/85 मे गत खसरा नंबर 600, 594/1, 594/2, 595 का ही वर्णन किया गया है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1157 कायम हुये है अपीलान्ट ने मन घडत ही खसरा नंबर 600, 594/1, 594/2, 595 के वर्तमान खसरा नंबर 1078, 1079,1081,1082,1092, 1157,1197, 1170, 1171,1179 बने है जो गलत है। अनुसूचित जन जाति वर्ग की भूमि की खातेंदारी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरण की गई है जो विधी विरूद्ध होने से उक्त निर्णय भी स्वतः ही काबिल खारिज है। यह सही है कि रेस्पोडेन्ट 01 व 02 की रिर्कोडेड भूमि पर सामान्य जाति का नाजायज कब्जा कर रखा है इस बाबत रेस्पोडेन्ट 01 व 02 ने लिखित प्रार्थना पत्र तहसीलदार नावां के समक्ष पेश कर प्रार्थी की भूमि से नाजायज अतिक्रमण हटवाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमावें।

7 राजकीय पैरोकार ने इस प्रकरण के संबंध में यह निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा तहसीलदार नावां के समक्ष एक परिवाद पेश कर निवेदन किया इनकी खातेदारी भूमि पर अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा जिस पर पटवारी हल्का नावां से जांच करवायी गयी। पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। संबंधित पक्षकारान को नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई का पर्याप्त समय दिया जाकर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है।

8 वकील उभयपक्ष एवं राज पैरोकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिवत सुनवाई करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट पक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत या दस्तावेज प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहे जिससे उक्त जमीन पर मालिकाना हक एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कि गयी कार्यवाही में त्रुटिपूर्ण साबित हो सके। राजस्व रिकार्ड अनुसार भी यही साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लायी गयी है।

ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही होने से उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश [illegible] होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:18:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

आदेश

अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां के मुकदमा नम्बर 1/2022 निर्णय दिनांक 29.06.2022 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावें।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:18:32 IST
Reason: SelfAttested